


अ.स - 197/2013


08.03.2022


पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेशकर अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते तथा प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज करवाना चाहते है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाता है। पत्रावली लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज किये जाने हेतु दिनांक 12.03.2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हो।

  
 ( दिलीप सिंह )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

12.03.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने पूर्व में दिनांक 08.03.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया था। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को लोक अदालत की भावना से विद्धा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तत्काल दाखिल दफतर हो।

  
 12.3.2022

  
 12/03/2022  
 अध्यक्ष / सीडर  
 लोक अदालत बेंच  
 ताल्लुका विधिक सेवा समिति  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

( दिलीप सिंह )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)  
 Payal Kantam  
 12.03.2022  
 अध्यक्ष  
 लोक अदालत बेंच  
 ताल्लुका विधिक सेवा समिति  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)

